

:- आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-233 की अनुपालना में निम्नलिखित 19 नवीन राजकीय महाविद्यालय (13 सहशिक्षा एवं 06 महिला शिक्षा) खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निन्मांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं. सहशिक्षा

1. टांटोटी (कैकड़ी)-अजमेर
2. ठहला (थानागाजी)-अलवर
3. पूराल (खाजूबाला)-बीकानेर
4. पावटा-जयपुर
5. सांकड़ा (पोकरण)-जैसलमेर
6. रामगढ़-जैसलमेर
7. कालन्दी-सिरोही

क्र.सं. सहशिक्षा

8. हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर
9. भचुण्डला-प्रतापगढ़
10. नेछवा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर
11. चौथ का बरवाड़ा-सवाईमाधोपुर
12. चौरासी-झूंगरपुर
13. रामसांगड़ा-झूंगरपुर

क्र.सं. महिला शिक्षा

14. दूँझ-जयपुर
15. खीवसर-नागौर
16. प्रतापगढ़-अलवर
17. बड़ा गुड़ा (सोजत)-पाली
18. फतेहपुर-सीकर
19. श्रीमाधोपुर-सीकर

(1) उक्त 19 नवीन महाविद्यालयों (कला संकाय, 02 वर्ग) में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में, उनके नाम के समुख अंकितानुसार बजट मद में निम्नानुसार 399 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

महाविद्यालयों के नाम	बजट मद	पदनाम	प्रति महाविद्यालय पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1-टांटोटी (कैकड़ी)-अजमेर	मांग संख्या-24	प्राचार्य	01	11
2-ठहला (थानागाजी)-अलवर	बजट मद-	सहायक आचार्य	07	77
3-पूराल (खाजूबाला)-बीकानेर	2202-03- 103-02 (पुरुषों के लिए)	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	11
4-पावटा-जयपुर	राज्य निधि	शारीरिक शिक्षक	01	11
5-सांकड़ा(पोकरण)-जैसलमेर		सहायक लेखाधिकारी-।	01	11
6-रामगढ़-जैसलमेर		अति. प्रशासनिक अधिकारी	01	11
7-कालन्दी-सिरोही		आशुलिपिक	01	11
8-हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर		वरिष्ठ सहायक	01	11
9-भचुण्डला-प्रतापगढ़		कनिष्ठ सहायक	02	22
10-नेछवा(लक्ष्मणगढ़)-सीकर		प्रयोगशाला सहायक	01	11
11-चौथ का बरवाड़ा- सवाईमाधोपुर		प्रयोगशाला वाहक	01	11
		बुक लिफ्टर	01	11
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	22
		कुल योग	21	231
1-चौरासी-झूंगरपुर	मांग संख्या-30	प्राचार्य	01	02
2-रामसांगड़ा-झूंगरपुर	बजट मद-	सहायक आचार्य	07	14
	2202-03- 796-01 (जनजाति क्षेत्र)	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	02
	राज्य निधि	शारीरिक शिक्षक	01	02
		सहायक लेखाधिकारी-।	01	02
		अति. प्रशासनिक अधिकारी	01	02
		आशुलिपिक	01	02
		वरिष्ठ सहायक	01	02
		कनिष्ठ सहायक	02	04
		प्रयोगशाला सहायक	01	02
		प्रयोगशाला वाहक	01	02
		बुक लिफ्टर	01	02
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	04
		कुल योग	21	42
1-दूँझ-जयपुर	मांग संख्या-24	प्राचार्य	01	6
2-खीवसर-नागौर	बजट मद-	सहायक आचार्य	07	42
3-प्रतापगढ़-अलवर	2202-03-103-03 (स्त्रियों के लिए)	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	6
4-बड़ा गुड़ा (सोजत)- पाली	राज्य निधि	शारीरिक शिक्षक	01	6
5-फतेहपुर-सीकर		सहायक लेखाधिकारी-।	01	6
6-श्रीमाधोपुर-सीकर		अति. प्रशासनिक अधिकारी	01	6

आशुलिपिक	01	6
वरिष्ठ सहायक	01	6
कनिष्ठ सहायक	02	12
प्रयोगशाला सहायक	01	6
प्रयोगशाला वाहक	01	6
बुक लिफ्टर	01	6
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	12
कुल योग	21	126

- (i) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में 21 पदों के सूजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावें। नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।
- (ii) सोसाइटी के गठन होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबंध मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही प्रयोगशाला वाहक, बुक लिफ्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सको से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (2) वेतनादि एवं महाविद्यालयों के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक/अनावर्तक व्यय राशि रु. 3675.60 लाख के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- (3) साथ ही उक्त नवीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रति महाविद्यालय राशि रूपये 4.50 करोड़ के व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102201536 दिनांक 15.03.2022 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की अ॒ज्ञा से,

(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (जीवी), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (गुप-4) विभाग।
9. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (गुप-5) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 20 (101/०२) /आयो/आकाशि/2022-23/ ।।० प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित है :-

दिनांक: 22/3/2022

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव,(जी बी)माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- 9 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
- 10 कुल सचिव, संबधित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 13 संयुक्त निदेशक (अकादमी/ प्रशासन/ एच आर डी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 14 प्राचार्य / नोडल अधिकारी संबधित राजकीय महाविद्यालय।
15. वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 16 रक्षित पत्रावली।

(डॉ दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर